न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—174/2022/223 आर.टी.एक्ट (2022/174)

1. गजानन्द पुत्र स्व0 श्री लादू आयु 71 वर्ष जाति राव (ढोली) निवासी ग्राम देराठू तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. मु0 सोहनी पत्नि स्व0 श्री गोपी
2. श्री जगदीश पुत्र स्व0 श्री गोपी
3. श्री सुशीला पुत्री स्व0 गोपी
4. श्री सम्पति पुत्री स्व0 गोपी
5. श्री सोहन पुत्र देवी
6. मु0 रामी पत्नि स्व0 श्री रामा
7. श्री महावीर पुत्र स्व0 श्री रामा
8. श्री कैलाश पुत्र स्व0 श्री रामा
9. श्री जगदीश पुत्र स्व0 श्री रामा
10. श्री शांतिलाल पुत्र स्व0 श्री सोहन
11. श्री सुरेश पुत्र स्व0 श्री सोहन
12. श्री शिवराज पुत्र स्व0 श्री सोहन
13. श्रीमती मीरा पुत्री स्व0 श्री सोहन
14. लाल पुत्र स्व0 श्री सोहन
15. मु0 रामीदेवी पत्नि स्व0 श्री पांचू (फौत नाम तर्क)
16. प्रेमदेव पुत्री स्व0 श्री पांचू
17. रूकमादेवी पत्नि प्रहलाद
18. लक्ष्मी पुत्री प्रहलाद
19. किशना पुत्री प्रहलाद समस्त जातिगण नायक निवासी ग्राम देराठू तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।
20. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, तहसील कार्यालय नसीराबाद जिला अजमेर।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद द्वारा दिनांक 24.05.2022 राजस्व वाद संख्या 139/2012 में पारित किया गया।

उपस्थितः—

1. श्री सीताराम रावत अभिभाषक अपीलांट.
2. श्री नवीन गुर्जर अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2
3. श्री एस0पी0 शर्मा अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 7 व 8 अनुपस्थित
4. श्री, विकास पाराशर, राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 20
5. रेस्पोडेंट संख्या 3 से 14 व 16 से 19 अनुपस्थित

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

निर्णय

दिनांकः— 13.02.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद, जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 139/2012 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24.05.2022 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी/वादी ने वाद अंतर्गत धारा 88, 188, 92अ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 136 भू राजस्थान अधिनियम 1956 का प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किर्या जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बहस सुनी जाकर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 24.5.2022 को अस्वीकार कर खारिज किया गया। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद, जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 139/2012 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24.05.2022 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। बावजूद सूचना के रेस्पोडेंट संख्या 3 से 6, 9 से 14 व 16 से 19 अनुपस्थित।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावाकृत भूमि चौसाला पुराना खसरा नम्बर 2358 रकबा 6—18—00 भूमि के हाल खसरा नम्बर कौन से खसरा नम्बर पर रकबा 4—10—0 पर कब्जा है यह वाद ने स्पष्ट नहीं किया है एंव प्रतिवादीगण के नाम दर्ज नहीं होकर अन्य व्यक्तियों के नाम खातेदारी में दर्ज है के आधार पर निर्णय डिक्री पारित कर दी गयी जबकि वादी की ओर से भूमि का वादपत्र में दिशाओ का वर्णन किया गया है तथा दिनांक 15.03.1973 को रजिस्ट्री वादी के पक्ष में निष्पादित करायी गयी जिसमें स्पष्ट था कि उत्तर दिशा की तरफ भूमि का बेचान किया गया है तथा उत्तर दिशा में हाल खसरा नम्बर 3438 रकबा 0.26, 3254 रकबा 0.25, 3255 रकबा 0.42 वर्तमान नक्शा ट्रेस में वर्णित होने पर भी एंव विक्रेतागण के वारिसान को पक्षकार मुर्तिब करने पर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त निर्णय व डिक्री पारित की गयी जो निरस्त होने योग्य है। दावाकृत भूमि पुराने चौसाला खसरा नम्बर 2358 रकबा 6—18—0 मे से 4—10—0 भूमि उत्तर दिशा में हाल खसरा नम्बर 3438, 3254, 3255, 3437, 3438/7277, 3254/7258, 3256, 8081/3438, 8268/3255 भूमि है जिसका वादी/अपीलार्थी द्वारा क्रय किया गया जिस पर मौके पर वादी का खरीद दिनांक से कब्जा व आधिपत्य चला आ रहा है के बावजूद रजिस्ट्री एंव राजस्व रेकार्ड की अनदेखी करते हुऐ अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किया गया हैं जो निरस्त होने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद, जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 139/2012 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24.05.2022 को निरस्त फरमाया जाकर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने अपील जवाब/बहस में कथन किया कि आराजी मुतनाजा से वादी का कोई संबंध नहीं है। भूमि 70 वर्षो से प्रतिवादीगण के नाम अधिकार अभिलेख में दर्ज चली आ रही है। प्रतिवादीगण के पूर्वज गोपी पुत्र देवी नायक द्वारा उक्त आराजी का बैचान कभी वादी को नहीं किया। साथ ही वादी की जाती राव होने व प्रतिवादी की जाती नायक (अनुसूचित जाति) होने से भूमि का विक्रय राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 से बाधित है। आराजी मुतनाजा पर प्रतिवादीगण पूर्वजों के समय से काबिज है। वादी द्वारा उक्त वाद 40 वर्षो बाद प्रस्तुत करने का कोई कारण अभिलिखित नहीं किया है। वादी द्वारा प्रतिवादीगण की भूमि को हडपने के लिए यह वाद पेश किया है। अतः वाद खारिज कर वादी को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पावंद किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही करते हुए अपने निर्णय में यह वर्णित किया कि ग्राम देराठू के हाल खसरा नम्बर 3440/0.05, 3441/0.04, 3438/0.26, 3254/0.11, 3255/0.42, 3256/0.01, 3437/0.26 व 3259/0.02 की आराजी पर वादी का वाद खारिज किया गया। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया निर्णय विधि सम्मत है, निर्णय पारित करते समय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की त्रुटि कारित नहीं की गई है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे।

6. हमने अभिभाषक उभयपक्षों द्वारा की गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी/वादी ने वाद अंतर्गत धारा 88, 188, 92अ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 136 भू राजस्थान अधिनियम 1956 का प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद दिनांक 24.5.2022 को खारिज किया गया। उक्त विवादित आराजी के खातेदार चौसाला जमाबंदी संवत 2025–28 के अनुसार गोपी पुत्र देवी नायक थे। पत्रावली पर उपलब्ध पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा उक्त आराजी मुतनाजा वादी द्वारा दिनांक 12.6.1973 को गोपी पुत्र देवी नायक से क्रय की गई। उक्त विक्रय पत्र अनुसार वादी को खसरा नम्बर 2358 के रकबा 6–18–00 में से 4–10–00 का बैचान वादी को किया गया। परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद यह कहते हुए खारिज किया गया कि वादी द्वारा खसरा नम्बर 2358 का पूर्ण रकबा क्रय नहीं किया गया है व हाल खसरा नम्बर में से कौन से खसरा नम्बर पर 4–10–00 वादी का कब्जा है। जबकि उक्त विक्रय पत्र दिनांक 12.6.1973 में दिशाओं का वर्णन किया गया है कि पूर्व–आराजी सिंयाडा सनौद वालों की, पश्चिम–बींजा का खेत, उत्तर–खेत साहनिया बिरादर मुकिर, दक्षिण–रामा का खेत इन चारों हदों के बीच की जमीन बैचान की गई है। परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त पंजीकृत विक्रय पत्र में अंकित दिशों को बिना देखे ही तनक़ीयात पर विवेचन करते हुए विरूद्ध वादी तनकीयात निर्णित की गई जो कि त्रुटिपूर्ण है। उक्त विवादित आराजीयात से संबंधित आराजी हाल राजस्व रिकार्ड में खसरा नम्बर 3440, 3441, 3255,

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

3256 प्रतिवादीगण के नाम दर्ज नहीं होकर अन्य व्यक्तियों की खातेदारी में दर्ज है। हाल खसरा नम्बर 3254 बैंक के नाम रहन दर्ज है। संबंधित बैंक को प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार मुर्तिब नहीं किए जाने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद खारिज किया गया जो कि त्रुटिपूर्ण है। हाजा न्यायालय पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है कि वाद से संबंधित पक्षकारान को वाद में प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 के तहत पक्षकार मुर्तिब कर उनसे जवाब प्राप्त कर प्रकरण में नए सिरे से तनकीयात कायम कर प्रकरण का निस्तारण करे व दिनांक 12.6.1973 के रजिस्टर्ड विक्रय पत्र का भी अधीनस्थ न्यायालय परीक्षण करे की वादी की जाति राव है व प्रतिवादी की जाति नायक है जो कि अनुसूचित जाति वर्ग से है उनके बीच भूमि का विक्रय राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 से बाधित तो नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के क्रम में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधि सम्मत नहीं होने से उनके द्वारा पारित निर्णय व डिक्री खारिज किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किए जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद, जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 139/2012 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24.05.2022 को निरस्त किया जाकर पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण से संबंधित पक्षों को उक्त प्रकरण में पक्षकार संयोजित करे वाद पत्र में जवाब प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त जवाब के आधार पर तनकीयात कायम कर वाद में प्रत्येक तनकी का विस्तृत विवेचन करते हुए प्रकरण को पुनः गुणावगुण पर निर्णित करे। उभयपक्षकारन को अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के समक्ष दिनांक 28.02.2025 को उपस्थित रहने हेतु पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 13.02.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

13/02/2025

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Scanned with CamScanner